रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 587] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2003/आषाढ़ 11, 1925
No. 587] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2003/ASADHA 11, 1925

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2003

का.आ. 750(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने, खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियम, 1957 की 25(ख) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19(ख), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या का.आ. 119(अ) दिनांक 29-1-2003 के माध्यम से, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) दिनांक 3-2-2003 में यह प्रकाशित कराया कि वह एक अधिकरण गठित करती है जिसमें एक व्यक्ति, नामत: श्री एस.के. मुखर्जी, निदेशक, लघु उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011, होंगे और कथित अधिकरण को मैं. बृज ग्राम सेवा मंडल, तिलक द्वार, मथुरा (उत्तर प्रदेश) पर बकाया को कथित अधिनियम की धारा 19(ख) की उप धारा (i) के अर्थान्तर्गत उक्त आयोग को विवादित प्रश्न पर विनिश्चय करने के लिए निर्दिष्ट किया।

और जबकि उक्त अधिकरण को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत करनी थी लेकिन सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के बाद नहीं।

और जबकि उक्त अधिकरण ने कथित अधिसूचना के प्रकाशन से 90 दिन की अवधि के अंतर्गत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

जबकि केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि अधिकरण उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिक समय चाहता है।

और जबकि, केन्द्र सरकार ने अधिकरण द्वारा रिपोर्ट सुपुर्द करने की समय सीमा को 2 अगस्त, 2003 तक और बढ़ाने का निर्णय लिया है।

अब, इसलिए, केन्द्र सरकार दिनांक 29 जनवरी, 2003 को कथित अधिसूचना सं. 119(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:—

उक्त अधिसूचना में: "90 दिनों के बाद नहीं" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, नामत:—

"लेकिन 2 अगस्त, 2003 के बाद नहीं"।

इसे कृषि एवं ग्रामीण उद्योग राज्य मंत्री के अनुमोदन से जारी किए जाता है।

[फा. सं. सी-18019/5/2001-केवीआई]

आदित्य प्रसाद पाढ़ी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2003

S.O. 750(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 19B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with rule 25B of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 1957, the Central Government *vide* notification No. S.O. 119(E) dated, the 29th January, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 3rd February, 2003 constituted a Tribunal consisting of one person, namely Shri S.K. Mukherjee, Director, Ministry of Small Scale Industries, Udyog Bhavan, New Delhi-110011, and referred the question of dispute to the said Tribunal for deciding about the payment of dues owned by M/s Brij Gram Seva Mandal, Tilak Dwar, Mathura (UP) to the Commission within the meaning of Sub-section (1) of Section 19B of the said Act.

And whereas, the said Tribunal was to submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than 90 days from the date of publication of the aforesaid notification in the Official Gazette.

And whereas, the said Tribunal has not submitted its report within the period of ninety days from the publication of the said notification.

And whereas, the Central Government is satisfied that the Tribunal requires more time to submit its report in the aforesaid matter.

And whereas, the Central Government has decided to extend the time limit of the Tribunal upto the 2nd August, 2003 to submit its report.

Now, therefore, the Central Government makes the following amendments in the said notification No. S.O. 119(E), dated the 29th January, 2003, namely:—

In the said notification: for the words "not later than ninety days", the following words shall be substituted, namely :—

"but not later than the 2nd August, 2003".

This issues with the approval of the Minister of State for Agro and Rural Industries.

[F. No. C-18019/5/2001-KVI]

ADITYA PRASAD PADHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.